

क्र० सं०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹ 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर बादी को सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति ₹0- 5000.00 का अर्थदण्ड दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के वेतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्थदण्ड जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्थदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर	शून्य

							<p>मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा0 आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरांत आरोपित अर्थदण्ड रुपये. 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुनः पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्रांक- 2221 दिनांक 31-03-23 व पत्रांक 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा। द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।</p>	
02	राज्य विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	16-07-2018	₹0 250000.00	अधिरोपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि0कमि0 को इस स्तर से पत्र सं0 1153 दि0 01-03-2023 प्रेषित किये गये है।	शून्य	<p>अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो मा0 राज्य सूचना आयोग में लम्बित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद महोदय को पत्रांक 801 दिनांक 17-02-2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ महोदय को पत्र सं0 140 दि0 09-05-2014 व पत्र सं0- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये है।</p>	

03	राज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(का0वा0)/ अधिकारी, वा0क्र0 गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	मा0 उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष वाद संख्या-एस-10-2849/ए/2016 पुनः वाद संख्या- एस-1083/पुनः/2018 श्री जगजीत सिंह, एच-34, नेहरु नगर-3, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मा0 राज्य सूचना आयोग द्वारा नियत सुनवायी दिनांक 18.07.2022 करते हुये आदेश दिनांक 07.02.2018 वापस किया गया है। उक्त के अतिरिक्त मा0 राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 आदेश दिनांक 30.05.2023 पारित करते हुए कहा गया है कि याची का प्रार्थना पत्र 500 शब्दों से अधिक होने के कारण पोषणीय नहीं है तथा अपील निरस्त करने के आदेश देते हुये अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने के आदेश दिये गये।
04	राज्य कर	श्री जे0पी0सिंह, सो0नि0 डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा0क्र0 गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा0 उ0प्र0 राज्य सूचना के वाद संख्या- एस-10-1867/ए/2015 में आदेश दिनांक 28.02.2018 पारित करते हुये संबंधित अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश पारित किया गया था, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अपने अर्थदण्ड की वसूली पत्र 10356/रा.सू.अर./शास्ति अनु./रजिस्ट्रार/2018 दिनांक 07.09.2018 से जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित किया गया है। यह पत्र https://upic.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त आदेश के संबंध में संबंधित जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 28.11.2018 को एक आवेदन पत्र उपरोक्त आदेश पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 24.12.2018 द्वारा उपरोक्त आदेश का कार्यान्वयन स्थगित किया गया। मान0 राज्य सूचना आयोग ने वाद एस-10/101/पुनः/2018 तथा अपील संख्या-एस-10/1867/ए/2015 के संबंध में आदेश दिनांक 08.08.2022 पारित करते हुए उपरोक्त आदेश दिनांक 28.02.2018 को वापस कर लिया गया है तथा अपील निस्तारित कर दी गयी है। रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 7/ए RTI भवन विधुति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ने नोटिस संख्या- 9321/शा.अनु./2024 जिला अधिकारी गाजियाबाद को संबोधित करते हुये याची श्री सुधीर कुमार व जनसूचना अधिकारी को पृष्ठांकित है तथा जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को अपास्तिकरण के आदेश के प्रति उक्त पत्र नोटिस के साथ संलग्न करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रति प्रेषित किया गया है।
05	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि0क्रा0 (प्रशा0) वा0क्र0 झांसी।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं0-12482सी0/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा0 राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लब्धित है।
06	राज्य कर	श्री चन्द्रशेखर वर्मा	कुल 21 पत्रावलियों में अर्थदण्ड पारित किया गया।	25000.00 प्रति आर.टी.आई. कुल आर.टी.आई कुल धनराशि 21X25000= 5,25,000.00	कुल 21 पत्रावलियों में पुनर्विचार प्रत्यावेदन लगाये जाने के कारण दण्ड जमा नहीं किया गया है।	निल	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।

(कमलेश कुमारी)

उपायुक्त (जनसूचना/आई.टी.आर.एस.)

राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।